

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, वाणिज्यिक कर जी.एस.टी. भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / आब. / ठेका / 2026 / 875

नवा रायपुर, दिनांक 10.02.2026

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- वर्ष 2026-27 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अन्तर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिन्दुओं पर शासन निर्देश।

---:0:---

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (यथासंशोधित) (जिसे इसके पश्चात् केवल व्यवस्थापन नियम, 2018 भी कहा गया है) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त कर मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन किया जायेगा। उपरोक्त नियमों के तहत वर्ष 2026-27 में भी राज्य की समस्त देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों का संचालन विगत वर्ष की भांति राज्य के सार्वजनिक उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ही किया जावेगा। अतः इस संबंध में मंत्रि-परिषद् निर्णय दिनांक 21/01/2026 अनुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु एवं निर्देश निम्नानुसार है :-

1/ **आवेदन पत्र** :- छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सी. एस. एम. सी. एल.) अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र (परिशिष्ट-1) एवं निर्धारित लायसेंस फीस प्रति दुकान प्रति वर्ष एक मुश्त जमा कर आवेदन करेगा। आवेदन पत्र लायसेंस प्रारंभ होने की तिथि से 07 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

2/ **लायसेंस मंजूर करने के लिए प्रक्रिया** :-

(2.1) जिले की देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा के फुटकर दुकानों/कम्पोजिट मदिरा दुकानों/प्रीमियम मदिरा दुकानों के अनुज्ञापन के लिए आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सी. एस. एम. सी. एल.) अथवा उसके अधिकृत प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (यथासंशोधित) के नियम 5 की प्रक्रिया अनुसार आवेदन पर लायसेंस प्रदान किया जावेगा।

(2.2) अनुज्ञापन प्राधिकारी प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर लायसेंस स्वीकृत कर सकेगा।

R-V

3/ मदिरा दुकानों की लायसेंस फीस एवं वसूली:-

इस संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :-

- (3.1) वर्ष 2026-27 के लिए प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा दुकान के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 10,000/- निर्धारित किया गया है।
- (3.2) वर्ष 2026-27 के लिए कम्पोजिट मदिरा दुकान हेतु वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 20,000/- निर्धारित किया गया है।
- (3.3) किसी भी मदिरा दुकान को वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पोजिट मदिरा दुकान के स्वरूप में परिवर्तित करने की स्थिति में लायसेंस फीस की अंतर की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
- (3.4) आवश्यकतानुसार खोली जाने वाली विदेशी मदिरा (प्रीमियम) दुकानों के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 10,000/- निर्धारित किया गया है।
- (3.5) वर्ष 2026-27 के लिये लायसेंस फीस अनुपातिक नहीं होगी, किसी भी समय लायसेंस फीस का निर्धारण सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के अनुसार ही किया जावेगा।

4/ देशी/विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक) की ड्यूटी दरें :-

- (4.1) प्रदेश में वर्ष 2026-27 के लिए देशी/विदेशी मदिरा के प्रदाय हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक) की ड्यूटी दरें निम्नानुसार रहेगी :-

क्रं.	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2026-27 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर
1.	देशी मदिरा :- मसाला - 25.0 UP प्लेन - 50.0 UP	रुपये 435/- प्रति प्रूफ लीटर
2.	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2026-27 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :-	
	1. रुपये 900/- तक	रुपये 475/- प्रति प्रूफ लीटर
	2. रुपये 901/- से 1250/- तक	रुपये 675/- प्रति प्रूफ लीटर
	3. रुपये 1251/- से 1850/- तक	रुपये 805/- प्रति प्रूफ लीटर
	4. रुपये 1851/- से 2400/- तक	रुपये 970/- प्रति प्रूफ लीटर
	5. रुपये 2401/- से 3500/- तक	रुपये 1090/- प्रति प्रूफ लीटर
	6. रुपये 3501/- से 4500/- तक	रुपये 1155/- प्रति प्रूफ लीटर
	7. रुपये 4501/- से 6500/- तक	रुपये 1210/- प्रति प्रूफ लीटर
	8. रुपये 6501/- से 8500/- तक	रुपये 1280/- प्रति प्रूफ लीटर
	9. रुपये 8501/- से 11,000/- तक	रुपये 1335/- प्रति प्रूफ लीटर
	10. रुपये 11,001/- और उससे अधिक	रुपये 1400/- प्रति प्रूफ लीटर
3.	बीयर (माल्ट) मदिरा:- प्रति बल्क लीटर भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (1) रुपये 100/-प्रति ब.ली. तक (2) रुपये 101/- से 120/-प्रति ब.ली. तक (3) रुपये 121/- प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक	ड्यूटी दर (1) रुपये 120/- प्रति ब.ली. (2) रुपये 140/- प्रति ब.ली. (3) रुपये 175/-प्रति ब.ली

R-1

4.	विदेशी मदिरा स्प्रिट (वाईन) :- विदेशी मदिरा स्प्रिट (वाईन) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2026-27 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :-	
	1. रुपये 3500/- तक	रुपये 475/- प्रति प्रूफ लीटर
	2. रुपये 3501/- और उससे अधिक	रुपये 805/- प्रति प्रूफ लीटर
5.	रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverage) 10 प्रतिशत (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले (माल्ट एवं वाईन को छोड़कर) रेडी टू ड्रिंक पेय	रुपये 475/- प्रति प्रूफ लीटर
6.	सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/क्लबों के लिये :-	
	(क)विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक)	वर्ष 2026-27 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रुपये 475/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	वर्ष 2026-27 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रुपये 120/- प्रति बल्क लीटर

टीप:- भारत के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) (Blended & Bottled Outside India) पर प्रदेश में आयात शुल्क समाप्त करते हुए प्रदेश में प्रचलित आबकारी शुल्क अधिरोपित किया जाता है।

स्पष्टीकरण:- (1) विदेशी मदिरा (स्प्रिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वाईन, लिकर्स, कार्डियल्स, बिटर्स, मिक्चर्स तथा अन्य विनिर्मितियाँ, जो स्परिट युक्त हों।
(2) माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर इत्यादि।

(4.2) रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverage) :-

(4.2.1) रेडी टू ड्रिंक पेय से अभिप्रेरित है, 10 प्रतिशत (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाली (वाईन एवं माल्ट को छोड़कर) अन्य समस्त पेय जो वर्तमान में स्प्रिट की अन्य केटेगरी यथा व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वोदका, लिकर्स, कार्डियल्स, बिटर्स, मिक्चर्स तथा अन्य विनिर्मितियाँ, जो स्परिट युक्त हों।

(4.2.2) रेडी टू ड्रिंक पेय जो वर्तमान में विदेशी मदिरा स्प्रिट की किसी भी केटेगरी में रजिस्टर्ड है वे आगामी वर्ष 2026-27 के लिए रेडी टू ड्रिंक पेय के लिये रजिस्टर्ड किये जायेंगे।

(4.2.3) रेडी टू ड्रिंक पेय की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2026-27 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (प्रति पेटी अधिकतम 9.0 बल्क लीटर तक) न्यूनतम रुपये 900/- से कम नहीं रखी जाएगी।

(4.3) आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार :-

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (यथासंशोधित) की धारा 25 (2) (पाँच) अनुसार, आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के अनुपात में दिया जावेगा।

आबकारी शुल्क के साथ ही अधिभार की राशि जमा कराई जावेगी। उक्त प्रावधान समस्त सुसंगत अनुज्ञप्तियों पर समान रूप से लागू होगा।

(4.4) देशी/विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक) के फुटकर विक्रय पर प्रति नग पर अधोसंरचना विकास शुल्क :-

वर्ष 2026-27 के लिये प्रदेश में अधोसंरचना के निर्माण एवं उन्नयन हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक) पर "अधोसंरचना विकास शुल्क" समस्त प्रकार की मदिरा पर अनुपातिक रूप से पाव/अद्धा/बोतल में 1:2:4 के अनुपात में गणना कर अधिरोपित किया जावेगा। उक्त शुल्क की दरें निम्नानुसार होंगी :-

क्र.	मदिरा का प्रकार	मदिरा की धारण क्षमता	'अधोसंरचना विकास शुल्क (रूपये में)
1	देशी मदिरा (मसाला एवं प्लेन)	बोतल (750 एम.एल.)	40
		अद्धा (375 एम.एल.)	20
		पाव (180 एम.एल.)	10
2	विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन / रेडी टू ड्रिंक पेय)	767 मिलीलीटर से अन्यून किन्तु 1000 मिलीलीटर तक की धारिता वाली बोतल, मैग्नम बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	60
		767 मिलीलीटर से कम किन्तु 495 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	40
		383 मिलीलीटर से कम किन्तु 246 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, पिन्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	20
		191 मिलीलीटर से कम किन्तु 142 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, निप बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	10
3	विदेशी मदिरा (माल्ट)	767 मिलीलीटर से कम किन्तु 495 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	10
		383 मिलीलीटर से कम किन्तु 246 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, पिन्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	5

5/ मादक द्रव्यों की नवीन दुकानें खोलना/बंद करना :-

(5.1) वर्ष 2025-26 में प्रदेश में मदिरा दुकान विहीन एवं उपयोजना क्षेत्रों तथा अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण के उद्देश्य से 67 नवीन मदिरा दुकानें संचालित किये जाने की अनुमति दी गई थी। उपरोक्तानुसार 67 नवीन मदिरा दुकानों में से वर्तमान में खोले जाने हेतु शेष 35 नवीन मदिरा दुकानों को मदिरा दुकान विहीन क्षेत्र, उपयोजना क्षेत्र तथा अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा नियमानुसार समस्त प्रक्रिया का पालन कर नवीन मदिरा दुकान खोले जाने का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर नवीन मदिरा दुकान खोली जा सकेगी।

R.H.

- (5.2) वर्ष 2025-26 में आवश्यकतानुसार पृथक से प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसे वर्ष 2026-27 हेतु यथावत् रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
- (5.3) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में किसी भी मदिरा दुकान को बंद नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- (5.4) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2026-27 हेतु मदिरा दुकान विहीन क्षेत्रों में अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य के किसी भी जिले की मदिरा दुकान को राज्य के किसी भी अन्य जिले में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होने पर स्थानांतरित कर, नवीन स्थल में संचालित करने की अनुमति होगी, साथ ही मदिरा दुकानों के स्थानांतरण की स्थिति में राजस्व हित में आवश्यकतानुसार दुकान के स्वरूप को परिवर्तित किये जाने की भी अनुमति होगी। संबंधित जिलों के कलेक्टर के प्रस्ताव/सहमति पर आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य शासन की अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् मदिरा दुकानों के संचालन किये जाने की अनुमति होगी।
- (5.5) मदिरा दुकानों के आवश्यकतानुसार नाम/स्थल/स्वरूप परिवर्तन हेतु प्रक्रिया एवं आवेदन प्रारूप परिशिष्ट-02 पर अवस्थित है।

6/ कम्पोजिट शॉप अनुज्ञप्ति:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये कम्पोजिट शॉप अनुज्ञप्ति के अंतर्गत स्वीकृत अनुज्ञप्ति के अधीन आवश्यकतानुसार एक ही मदिरा दुकान से देशी तथा विदेशी मदिरा का फुटकर विक्रय किया जा सकेगा। अर्थात् (i) देशी मदिरा की फुटकर दुकान से देशी मदिरा के साथ-साथ विदेशी मदिरा का एवं (ii) विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा के साथ-साथ देशी मदिरा का विक्रय किया जा सकता है। इस हेतु पृथक से अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7/ प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें:-

वर्ष 2026-27 के लिए मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 21.01.2026 द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में जिलों के कलेक्टर द्वारा नवीन प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान संबंधी प्रस्ताव आवश्यक जांच उपरांत आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा, जिस पर शासन निर्णय पश्चात् नवीन प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान खोली जा सकेगी।

8/ अहाता अनुज्ञप्ति:-

देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानों में मदिरा उपभोक्ताओं को मदिरापान हेतु मदिरा दुकान से संलग्न स्थान की उपलब्धता के आधार पर अहाता सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानों से संलग्न परिसर में अहाता अनुज्ञप्ति आगामी वर्ष 2026-27 में भी जारी की जा सकेगी। अहाता अनुज्ञप्ति के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं विज्ञप्ति पृथकतः प्रसारित किये जावेंगे।

9/ देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानों की अवस्थिति :-

- (9.1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य प्रयोग के नियम के नियम 1(1) (यथा-संशोधित) के अन्तर्गत प्रावधानित आपत्तिजनक स्थानों पर कोई भी फुटकर मदिरा की दुकान, जहाँ पर परिसर में मदिरा के उपभोग की अनुमति हो, स्थापित नहीं की जा सकती है। अतः उक्त नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
- (9.2) उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रयोग के नियम के नियम 1 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत आपत्तिजनक स्थल में स्थापित मदिरा दुकानों को सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक 5 के अनुसार निर्धारित परिक्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर सक्षम हैं। अतः जिले की कोई मदिरा दुकान, जहाँ पर परिसर में मदिरा उपभोग की अनुमति हो, यदि आपत्तिजनक स्थल पर है, तो ऐसी मदिरा दुकानों को नियमानुसार आपत्तिरहित स्थल पर स्थानांतरित करने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जावे। प्रत्येक मदिरा दुकान की अवस्थिति का निर्धारण संबंधित दुकान के लिये नियत परिक्षेत्र में जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 01.04.2026 के पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा।
- (9.3) निर्धारित परिक्षेत्र के अतिरिक्त किसी देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकान को सामान्य प्रयोग के नियम के अध्याधीन रहते हुए वर्तमान संचालित स्थान से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने हेतु कलेक्टर की अनुशंसा पर आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- (9.4) मदिरा दुकानों का किन्ही भी कारणों से स्थानांतरण किये जाने की आवश्यकता होने पर विभागीय नियमों के साथ-साथ जन भावना एवं जन सुविधा का भी ध्यान रखा जावे। यदि किसी मदिरा दुकान का स्थानांतरण किया जाता है तो नवीन स्थल के अक्षांश और देशांतर की जानकारी कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा, ताकि परिवर्तित स्थल का विवरण अद्यतन किया जा सके।

10/ देशी मदिरा के भण्डारण-भाण्डागार खोलना/बंद करना :-

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार, आगामी वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के किसी भी जिले में देशी मदिरा का नवीन भण्डारण-भाण्डागार नहीं खोला जावेगा। प्रदेश में संचालित मद्य भण्डारण-भाण्डागारों की सूची एवं संलग्न जिलों का विवरण निम्नानुसार है:-

भण्डारण-भाण्डागारों एवं जिलों की सूची

क्र.	भण्डारण-भाण्डागार का नाम	जिलों का नाम, जहां मदिरा का प्रदाय किया जाना है।
1	2	3
1	रायपुर	रायपुर
2	महासमुंद	महासमुंद, गरियाबंद
3	भिलाई	दुर्ग
4	राजनांदगांव	राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5	धमतरी	धमतरी, बालोद, उत्तर बस्तर कांकेर

6	जगदलपुर	बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव
7	बिलासपुर	बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
8	कबीरधाम	कबीरधाम, बेमेतरा
9	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार-भाटापारा
10	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा, सक्ती, कोरबा
11	अंबिकापुर	सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
12	रायगढ़	रायगढ़, जशपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़

भण्डारण भण्डागारों हेतु उपयुक्त स्थल की व्यवस्था छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उक्त भण्डारण भण्डागारों हेतु प्रति भण्डारण भण्डागार निर्धारित अनुज्ञप्ति फीस रुपये 1,00,000/- का भुगतान किये जाने के उपरांत आबकारी आयुक्त द्वारा सी.एस.1(ग) अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जावेगी।

11/ देशी मदिरा के लिये प्रदाय व्यवस्था :-

- (11.1) देशी मदिरा का प्रदाय सी.एस.-1(ख)/सी.एस.-1(खख) अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा किया जावेगा।
- (11.2) देशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता को अपनी आसवनी परिसर स्थित देशी मदिरा बोतल भराई कक्ष/देशी मदिरा बोतल भराई परिसर स्थित बोतल भराई कक्ष एवं विदेशी मदिरा परिसर स्थित देशी मदिरा बोतल भराई कक्ष से देशी मदिरा के भण्डारण-भाण्डागार तक मदिरा का परेषण भेजने के पूर्व प्रति पेटी पर आबकारी शुल्क अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क), जैसा भी लागू हो, जो लैडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 50 प्रतिशत की दर से होगी, जमा करना अनिवार्य होगा।
- (11.3) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, मदिरा दुकानों हेतु संबंधित भण्डारण-भाण्डागार से देशी मदिरा का प्रदाय समस्त प्रकार के देय, ड्यूटी, अधिभार आदि का शासकीय कोष में अग्रिम भुगतान के पश्चात्, प्राप्त करेगा। देशी मदिरा के प्रदाय दर का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संबंधित प्रदायकर्ता को प्रत्येक माह की 10, 20 एवं माह की अंतिम तारीख तक किया जावेगा।
- (11.4) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2026-27 के लिये देशी मदिरा की आपूर्ति केवल फूड ग्रेड rPET (Food Grade Recyclable Polyethylene Terephthalate) बोतलों में की जावेगी। इस बाबत छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव-अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, 2023 में निहित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- (11.5) देशी मदिरा का प्रदाय rPET बोतलों में "750 ml", "375 ml." एवं "180 ml" की मात्रा में किया जाना होगा। बोतलों का आकार अण्डाकार (Oval) या बेलनाकार (Cylindrical) होगा और बोतलों पर "छ.ग.दे.म." उत्कीर्ण (Embossed) किया जाना अनिवार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मदिरा की समस्त बोतलों पर Excise Adhesive Label (EAL) चस्पा किया जाकर प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।

- (11.6) देशी मदिरा की पेटियों में (प्रति पेट्टी) 12 नग बोटल, 24 नग अड्डा तथा 48 नग पाव संग्रहित होंगी।
- (11.7) देशी मदिरा परिवहन में प्रयुक्त होने वाले सीलबंद पेट्टियों के दोनों तरफ लगने वाले लेबलों पर सफेद रिक्त स्थान रखना होगा जिस पर 1D बारकोड प्रिंट होगा।
- (11.8) देशी मदिरा की पेट्टियां "ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड" के मानक अनुरूप होंगी तथा मदिरा का प्रदाय नवीन पेट्टियों में ही किया जावेगा।
- (11.9) देशी मदिरा प्रदायकर्ता को परेषण के दौरान होने वाली टूट-फूट एवं भण्डारण पर टूट-फूट की मात्रा पर आबकारी शुल्क अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) वापस नहीं होगी।
- (11.10) देशी मदिरा प्रदायकर्ता सी.एस.-1(ख)/सी.एस.-1(खख) लायसेंसी द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ किए गए किसी भी प्रकार के अनुबंध की शर्तों एवं समय-समय पर दिए गए निर्देशों/आदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- (11.11) समस्त देशी मदिरा उत्पादों को छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन संचालित समस्त भण्डारण-भाण्डागारों में देशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता द्वारा संग्रहित किया जाना होगा तथा मदिरा के संग्रहण के लिए प्रति पेट्टी निर्धारित दर (रूपये 6/- समस्त करों सहित) से किराया राशि छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड को देय होगा।
- (11.12) देशी मदिरा के सी.एस.1(ख)/सी.एस.1(खख) अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य में देशी मदिरा प्रदाय हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत प्रदायकर्ताओं को देशी मदिरा के रेट ऑफर में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही प्रत्येक प्रदायकर्ता को देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन के नामपत्रों (लेबल्स) का भी नियमानुसार पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

12/ सील बंद बोटलो में देशी मदिरा का परिवहन :-

- (12.1) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा देशी मदिरा के परिवहन के लिये अधिकृत परिवहनकर्ता द्वारा देशी मदिरा का प्रदाय भण्डारण भाण्डागार से लिया जाकर देशी मदिरा दुकान/कम्पोजिट मदिरा दुकान तक आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिट के माध्यम से समय-सीमा के भीतर किया जावेगा।
- (12.2) यदि एक से अधिक देशी /कम्पोजिट मदिरा दुकान एक ही मार्ग (ROUTE) पर स्थित है तो आवश्यक होने पर एक से अधिक परन्तु अधिकतम तीन मदिरा दुकानों हेतु मदिरा का परिवहन एक ही वाहन से किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रत्येक मदिरा दुकानों के लिये पृथक-पृथक परिवहन परमिट जारी किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक दुकानों के लिये परिवहन हेतु निर्धारित समयावधि अंकित किया जावेगा।
- (12.3) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के लिये निर्धारित समय-सीमा में परिवहनकर्ता द्वारा मदिरा का परेषण पहुंचाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रथम मदिरा दुकान में मदिरा की आमद पूर्ण होने अर्थात् संपूर्ण मदिरा अनलोड होने के पश्चात् मदिरा दुकान के प्रभारी आबकारी अधिकारी/आबकारी मुख्य आरक्षक/आबकारी आरक्षक द्वारा वाहन को आगामी मदिरा

दुकान तक के लिये रवाना किया जावेगा, जिसमे उस दुकान की परमिट में वाहन के रवानगी की तिथि, समय एवं परिवहन की अवधि अपने हस्ताक्षर एवं सील के साथ अंकित करेगा। तत्पश्चात् उक्त द्वितीय मदिरा दुकान की दूरी के आधार पर निर्धारित समय पर वाहन का पहुंचना अनिवार्य होगा। पुनः आगामी तृतीय मदिरा दुकान के स्कंध के संबंध में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जावेगी। इस प्रक्रिया में परिवहन परमिट में जारी की गई समयावधि में स्वाभाविक अंतर परिलक्षित होना संभावित है।

- (12.4) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के अलावा अन्य समस्त मदिरा दुकानों के लिये रूपये 500/- प्रति दुकान की दर से परिवहन सुविधा शुल्क देय होगा, जिसे परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं वहन करते हुए विभागीय मुख्य शीर्ष 0039, लघु शीर्ष 800, अन्य प्राप्तिर्ष मद् में भण्डारण-भाण्डागार से मदिरा परिवहन हेतु मदिरा का वाहन में लोड होने के पूर्व ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जावेगा। ऐसे जमा किये गये चालान की प्रति भण्डारण-भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वाहन में एक से अधिक मदिरा दुकानों का स्कंध एक साथ परिवहन करने की अनुमति भण्डारण-भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी के द्वारा दी जावेगी।
- (12.5) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में जमा परिवहन सुविधा शुल्क की मासिक जानकारी भण्डारण-भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा।
- (12.6) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में परिवहनकर्ता द्वारा जमा किया गया परिवहन सुविधा शुल्क की राशि न तो वापसी योग्य होगी और न ही मदिरा का परिवहन नहीं किये जाने की स्थिति में किसी भी मद में समायोजन योग्य होगी।
- (12.7) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में मदिरा का परिवहन करने के पूर्व मदिरा की लोडिंग इस प्रकार किया जावेगा कि मदिरा के परिवहन हेतु निर्धारित प्रथम मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अंतिम में लोड किया जावे इसी प्रकार अन्य मदिरा दुकानों की मदिरा का लोडिंग इस प्रकार से किया जावे की किसी भी मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अन्य मदिरा दुकान की मदिरा से मिश्रित ना हो जावे इस हेतु पार्टिशन का कार्य किया जाना होगा ताकि केवल उसी संबंधित दुकान में ही मदिरा का अनलोड किया जा सके।
- (12.8) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में यद्यपि परिवहनकर्ता द्वारा एक ही मार्ग (ROUTE) की अधिकतम तीन मदिरा दुकानों की मदिरा का परिवहन किया जा सकेगा, परन्तु इस हेतु तीनों मदिरा दुकानों के लिये परमिट तैयार होने की प्रतिक्षा नहीं किया जाकर, मदिरा दुकानों में मदिरा की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध परमिट पर परिवहन हेतु तत्काल वाहन की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

R-h

(12.9) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में उपरोक्त कण्डिका 12 में दिये गये निर्देशों के उल्लंघन/त्रुटि के लिए नियमानुसार शास्ति अधिरोपित किया जा सकेगा।

13/ देशी मदिरा की तेजी :-

वर्ष 2026-27 के लिए देशी मदिरा की तेजी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्रमांक	मदिरा का प्रकार/ब्राण्ड	निर्धारित तेजी
1.	मसाला मदिरा	25.0 यू.पी.
2.	प्लेन मदिरा	50.0 यू.पी.

14/ सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का प्रदाय :-

वर्ष 2026-27 के लिये प्रदेश में स्थित देशी मदिरा/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकान को भण्डारण-भाण्डागार से बोतल, अद्धा, पाव में मदिरा का प्रदाय केवल rPET बोतलों में लायसेंसी की मांग के अनुसार किया जावेगा।

15/ विदेशी मदिरा के गोदामों को खोलना/बंद करना तथा उनका प्रबंधन :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु विदेशी मदिरा गोदाम एवं संलग्न जिलों का विवरण निम्नानुसार है:-

विदेशी मदिरा गोदाम एवं उनसे संलग्न जिलों का विवरण

क्र.	विदेशी मदिरा गोदाम का नाम	संलग्न जिलों का नाम
1	2	3
1	विदेशी मदिरा गोदाम, सिलतरा, रायपुर	रायपुर/बस्तर (राजस्व) संभाग में सम्मिलित समस्त जिलों की विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानें।
2	विदेशी मदिरा गोदाम, सिरगिट्टी, बिलासपुर	बिलासपुर/सरगुजा (राजस्व) संभाग में सम्मिलित समस्त जिलों की विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानें।
3	विदेशी मदिरा गोदाम, अरसनारा, दुर्ग	दुर्ग (राजस्व) संभाग में सम्मिलित समस्त जिलों की विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानें।

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एफ.एल.10-“विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति”, हेतु प्रति गोदाम निर्धारित अनुज्ञप्ति फीस रूपये 50,00,000/- (रूपये पचास लाख) का भुगतान किये जाने के उपरांत अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जावेगी।

16/ विदेशी मदिरा की प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य विवरण :-

(16.1) छत्तीसगढ़ राज्य में विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक) तथा बीयर (माल्ट) उत्पादों का प्रदाय विदेशी/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों को छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जावेगा।

- (16.2) वर्ष 2026-27 से विदेशी मदिरा की न्यूनतम ड्यूटी स्लैब की मदिरा का प्रदाय केवल rPET बोतलों में किया जाना होगा। विदेशी मदिरा स्प्रिट के न्यूनतम ड्यूटी दर वाली मदिरा को छोड़कर शेष ड्यूटी दरों वाली विदेशी मदिरा स्प्रिट की आपूर्ति कांच की बोतलों अथवा फूड ग्रेड rPET (Recyclable Polyethylene Terephthalate) बोतलों में किये जाने की सुविधा विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों को होगी। किसी ब्राण्ड/लेबल का प्रदाय केवल कांच की बोतल अथवा rPET बोतलों में किया सकेगा अर्थात् दोनों तरह की बोतलों में नहीं किया जा सकेगा। इस बाबत छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव-अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, 2023 में निहित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- (16.3) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में क्रय की गई विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक/माल्ट) की कीमत (सी.वी.डी. सहित प्रदाय दर) का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संबंधित विनिर्माता /प्रदायकर्ता को 10 दिवसों के अंतराल में किया जावेगा अर्थात् विनिर्माता /प्रदायकर्ता 10वें, 20वें एवं माह के अंतिम दिवस पश्चात् छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के समक्ष देयक प्रस्तुत करेगा जिसे क्रमशः 20 वे, माह के अंतिम कार्य दिवस, आगामी माह के 10वें दिवस तक भुगतान किया जावेगा।
- (16.4) विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक) तथा बीयर (माल्ट) उत्पादों को छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन संचालित गोदामों में विनिर्माता/प्रदायकर्ता द्वारा संग्रहित किया जावेगा तथा मदिरा के संग्रहण पर छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड प्रति पेटी प्रदाय दर (सी.वी.डी. /आबकारी शुल्क सहित) पर 1 प्रतिशत की दर से मार्कअप प्राप्त कर सकेगा।
- (16.5) विदेशी मदिरा विनिर्माता/प्रदायकर्ता द्वारा आबकारी विभाग/छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड/छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ किए गए किसी भी प्रकार के अनुबंध की शर्तों एवं उनके द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों/आदेशों का पालन करने बाध्य होगा।

17 / विदेशी मदिरा का परिवहन :-

- (17.1) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विदेशी मदिरा के परिवहन के लिये अधिकृत परिवहनकर्ता द्वारा विदेशी मदिरा का प्रदाय छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के विदेशी मदिरा गोदाम से लिया जाकर विदेशी मदिरा दुकान/कम्पोजिट मदिरा दुकान तक आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिट के माध्यम से समय-सीमा के भीतर किया जावेगा।
- (17.2) यदि एक से अधिक विदेशी मदिरा दुकान/कम्पोजिट मदिरा दुकान एक ही मार्ग (ROUTE) पर स्थित हैं तो आवश्यक होने पर एक से अधिक परन्तु अधिकतम तीन मदिरा दुकानों हेतु मदिरा का परिवहन एक ही वाहन से किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रत्येक मदिरा दुकान के लिये पृथक-पृथक परिवहन परमिट जारी किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक दुकान के लिये परिवहन हेतु निर्धारित समयावधि अंकित किया जावेगा।
- (17.3) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के लिये निर्धारित समय-सीमा में परिवहनकर्ता द्वारा मदिरा का परेषण पहुंचाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रथम मदिरा दुकान में मदिरा की निकासी पूर्ण होने अर्थात् संपूर्ण मदिरा अनलोड होने के पश्चात् मदिरा दुकान के प्रभारी आबकारी

अधिकारी/आबकारी मुख्य आरक्षक/आबकारी आरक्षक द्वारा वाहन को आगामी मदिरा दुकान तक के लिये रवाना किया जावेगा, जिसमें उस दुकान की परमिट में वाहन के रवानगी की तिथि, समय एवं परिवहन की अवधि अपने हस्ताक्षर एवं सील के साथ अंकित करेगा। तत्पश्चात् उक्त द्वितीय मदिरा दुकान की दूरी के आधार पर निर्धारित समय पर वाहन का पहुंचना अनिवार्य होगा। पुनः आगामी तृतीय मदिरा दुकान के स्कंध के संबंध में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जावेगी। इस प्रक्रिया में परिवहन परमिट में जारी की गई समयावधि में स्वाभाविक अंतर परिलक्षित होना संभावित है।

- (17.4) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के अलावा अन्य समस्त मदिरा दुकानों के लिये रुपये 500/- प्रति दुकान की दर से परिवहन सुविधा शुल्क देय होगा, जिसे परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं वहन करते हुए मुख्य शीर्ष 0039, लघु शीर्ष 800, अन्य प्राप्तियां मद में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विदेशी मदिरा गोदाम से मदिरा परिवहन हेतु मदिरा के वाहन में लोड होने के पूर्व ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जावेगा। ऐसे जमा किये गये चालान की प्रति गोदाम के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वाहन में एक से अधिक मदिरा दुकानों का स्कंध एक साथ परिवहन करने की अनुमति गोदाम के प्रभारी अधिकारी के द्वारा दी जावेगी।
- (17.5) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में जमा परिवहन सुविधा शुल्क की मासिक जानकारी विदेशी मदिरा गोदाम के प्रभारी अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक के माध्यम से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा।
- (17.6) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में परिवहनकर्ता द्वारा जमा किया गया परिवहन सुविधा शुल्क की राशि न तो वापसी योग्य होगी और न ही मदिरा का परिवहन नहीं किये जाने की स्थिति में किसी भी मद में समायोजन योग्य होगी।
- (17.7) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में मदिरा का परिवहन करने के पूर्व मदिरा का लोडिंग इस प्रकार किया जावेगा कि मदिरा के परिवहन हेतु निर्धारित प्रथम मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अंतिम में लोड किया जावे इसी प्रकार अन्य मदिरा दुकानों की मदिरा का लोडिंग इस प्रकार से किया जावे कि किसी भी मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अन्य मदिरा दुकान की मदिरा से मिश्रित ना हो जावे इस हेतु पार्टीशन का कार्य किया जाना होगा ताकि केवल उसी संबंधित दुकान में ही मदिरा का अनलोड किया जा सके।
- (17.8) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में यद्यपि परिवहनकर्ता द्वारा एक ही मार्ग (ROUTE) की अधिकतम तीन मदिरा दुकानों की मदिरा का परिवहन किया जा सकेगा, परन्तु इस हेतु तीनों मदिरा दुकानों के लिये परमिट तैयार होने की प्रतिक्षा नहीं किया जाकर, मदिरा दुकानों में मदिरा की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध परमिट पर परिवहन हेतु तत्काल वाहन की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

(17.9) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में उपरोक्त कण्डिका 17 में दिये गये निर्देश के उल्लंघन/त्रुटि के लिए नियमानुसार शास्ति अधिरोपित किया जा सकेगा।

18/ विदेशी मदिरा विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयो से विदेशी मदिरा का परिवहन :-

- (18.1) विदेशी मदिरा की आपूर्ति/प्रदाय के लिये आबकारी आयुक्त कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिकृत विदेशी मदिरा विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयो द्वारा विदेशी मदिरा की आपूर्ति/प्रदाय अपनी विनिर्माण इकाईयों से विदेशी मदिरा गोदाम तक आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिट के माध्यम से समय-सीमा के भीतर किया जावेगा।
- (18.2) यदि एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदाम एक ही मार्ग (ROUTE) पर स्थित है तो आवश्यक होने पर एक से अधिक गोदामों हेतु मदिरा का परिवहन एक ही वाहन से किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रत्येक विदेशी मदिरा गोदाम के लिये पृथक-पृथक परिवहन परमिट जारी किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक गोदाम के लिये परिवहन हेतु निर्धारित समयावधि अंकित किया जावेगा।
- (18.3) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा गोदाम के लिये निर्धारित समय-सीमा में विदेशी मदिरा विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों द्वारा मदिरा का परेषण पहुंचाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रथम विदेशी मदिरा गोदाम में मदिरा की आमद पूर्ण होने अर्थात् संपूर्ण मदिरा आमद होने के पश्चात् विदेशी मदिरा गोदाम के प्रभारी आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा वाहन को आगामी विदेशी मदिरा गोदाम तक के लिये रवाना किया जावेगा, जिसमें उस विदेशी मदिरा गोदाम की परमिट में वाहन के रवानगी की तिथि, समय एवं परिवहन की अवधि अपने हस्ताक्षर एवं सील के साथ अंकित करेगा। तत्पश्चात् उक्त द्वितीय विदेशी मदिरा गोदाम की दूरी के आधार पर निर्धारित समय पर वाहन का पहुंचना अनिवार्य होगा। पुनः आगामी तृतीय विदेशी मदिरा गोदाम के स्कंध के संबंध में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जावेगी। इस प्रक्रिया में परिवहन परमिट में जारी की गई समयावधि में स्वाभाविक अंतर परिलक्षित होना संभावित है।
- (18.4) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम विदेशी मदिरा गोदाम के अलावा अन्य समस्त विदेशी मदिरा गोदामों के लिये रूपये 1500/- प्रति विदेशी मदिरा गोदाम की दर से परिवहन सुविधा शुल्क देय होगा, जिसे विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा स्वयं वहन करते हुए मुख्य शीर्ष 0039, लघु शीर्ष 800, अन्य प्राप्तियां मद में विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता इकाई से विदेशी मदिरा गोदाम तक मदिरा परिवहन हेतु मदिरा के वाहन में लोड होने के पूर्व ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जावेगा। ऐसे जमा किये गये चालान की प्रति विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता इकाई के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वाहन में एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों का स्कंध एक साथ परिवहन करने की अनुमति विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता इकाई के प्रभारी अधिकारी के द्वारा दी जावेगी।

- (18.5) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में जमा परिवहन सुविधा शुल्क की मासिक जानकारी विदेशी मदिरा गोदाम के प्रभारी अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक के माध्यम से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा।
- (18.6) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा जमा किया गया परिवहन सुविधा शुल्क की राशि न तो वापसी योग्य होगी और न ही मदिरा का परिवहन नहीं किये जाने की स्थिति में किसी भी मद में समायोजन योग्य होगी।
- (18.7) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में मदिरा का परिवहन करने के पूर्व मदिरा का लोडिंग इस प्रकार किया जावेगा कि मदिरा के परिवहन हेतु निर्धारित प्रथम विदेशी मदिरा गोदाम से संबंधित मदिरा अंतिम में लोड किया जावे इसी प्रकार अन्य विदेशी मदिरा गोदाम की मदिरा का लोडिंग इस प्रकार से किया जावे की किसी भी विदेशी मदिरा गोदाम से संबंधित मदिरा अन्य विदेशी मदिरा गोदाम की मदिरा से मिश्रित ना हो जावे। इस हेतु पार्टीशन का कार्य किया जाना होगा ताकि केवल उसी संबंधित विदेशी मदिरा गोदाम में ही मदिरा का अनलोड किया जा सके।
- (18.8) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में उपरोक्त कण्डिका 18 में दिये गये निर्देशों के उल्लंघन/त्रुटि के लिए नियमानुसार शास्ति अधिरोपित किया जा सकेगा।

19/ सी.सी.टी.वी. कैमरा:-

वर्ष 2026-27 में देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मदिरा दुकानों से संलग्न अहातों में आवश्यकता अनुरूप सी.सी.टी.वी. कैमरा जिसमें अनुज्ञप्त परिसर में 24 घंटे x 7 दिवस सी.सी.टी.वी. मॉनिटरिंग की व्यवस्था किया जाना होगा, जिसके तहत न्यूनतम चार आई.पी. बेस्ड कैमरे नाईट विजन फ़ैसिलिटी के साथ एवं 15 दिवस का कैमरा रिकॉर्डिंग बैक-अप रखा जाना अनिवार्य होगा।

20/ देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लिए स्टॉफ की नियुक्ति :-

जिले की देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानों हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुबंधित प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश पत्र में चस्पा फोटो को जिले के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/प्रबंधक द्वारा सत्यापन किया जावेगा, तत्पश्चात् जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा नियमानुसार नौकरनामा जारी किया जावेगा।

21/ मदिरा दुकानों में संधारण किये जाने वाले अभिलेख:-

(21.1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक 22 में निरीक्षण पुस्तिका रखने के प्रावधान निहित हैं, जिसके अनुसार अनुज्ञप्तिधारी मदिरा दुकान में निरीक्षण पुस्तिका रखेगा और दुकान के निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(21.2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत निर्मित सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक 20 में मदिरा स्कंध के संबंध में लेखा पंजी निर्धारित प्रारूप में रखने का प्रावधान निहित

है, जिसके अनुसार मदिरा दुकान का अनुज्ञप्तिधारी, मदिरा दुकान में अद्यतन लेखा पंजी रखेगा और दुकान के निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

- (21.3) मदिरा दुकान के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनकी दुकान में मदिरा की प्रारम्भिक स्कंध, आमद, बिक्री एवं अंतिम बचत की मासिक विवरणी, जो देशी मदिरा के मसाला एवं प्लेन के लिए ब्राण्ड/लेबलवार तथा विदेशी मदिरा के लिए ब्राण्ड/लेबलवार होगी, जिसे दुकान के निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक माह के प्रारंभिक 03 कार्य दिवस के भीतर उपरोक्त जानकारी जिले के आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (21.4) प्रत्येक मदिरा दुकान में निर्धारित प्रारूप में कैश बुक संधारित की जावेगी जिसमें मदिरा विक्रय से प्राप्त राशि एवं जमा राशि का विवरण अद्यतन भरा जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कैश कलेक्शन एजेंसी द्वारा उठाई गई राशि संबंधी पर्ची एवं बैंक में जमा राशि संबंधी रसीद का भी अद्यतन संधारित किया जाना आवश्यक होगा।
- (21.5) प्रत्येक मदिरा दुकान में प्राप्त परेषण से संबंधित परमिट/पारपत्र की प्रति एवं आमद के समय मदिरा सत्यापन पंचनामा की प्रति संधारित किया जाना आवश्यक होगा जिसे निरीक्षण के दौरान समक्ष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (21.6) प्रत्येक मदिरा दुकान में प्रत्येक माह हेतु किये गये ऑडिट रिपोर्ट की सत्यापित प्रति संधारित किया जाना अनिवार्य होगा। जिसे निरीक्षण के दौरान समक्ष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

22/ मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण :-

किसी मदिरा दुकान पर मदिरा की अधिक मात्रा संग्रहित होने की दशा में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंधित अधिकारी के अनुरोध पर संबंधित जिले की अन्य मदिरा दुकान में मदिरा का स्थानांतरण (Transfer) जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी की अनुमति पश्चात् नियमानुसार, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार परिवहन परमिट प्राप्त करने उपरांत किया जा सकेगा।

एक जिले की मदिरा दुकान से अन्य जिले की मदिरा दुकान में मदिरा का स्थानांतरण (Transfer) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक के प्रतिवेदन पर आबकारी आयुक्त के अनुमोदन उपरांत जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के द्वारा नियमानुसार, निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर परिवहन परमिट जारी किया जा सकेगा।

23/ शुष्क दिवस :-

- (23.1) वर्ष 2026-27 में प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों (अहाता अनुज्ञप्ति सहित) के साथ-साथ एफ.एल.2(क) 3, 3(क), 3(ख), 3(ग), 3(घ), 3(ड.), 4, 4(क), 6, 7, 8 एवं 10, सी.एस.1-ग को निम्नानुसार दिवसों में शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवसों पर बंद रखा जावेगा :-

क्रमांक	शुष्क दिवस	संख्या दिवस
1.	2.	3.
1.	26 जनवरी "गणतंत्र दिवस"	1 दिवस
2.	15 अगस्त "स्वतंत्रता दिवस"	1 दिवस
3.	02 अक्टूबर "गांधी जयंती"	1 दिवस
4.	18 दिसम्बर "गुरु घासी दास जयंती"	1 दिवस

(23.2) उक्त के अतिरिक्त कलेक्टर को यह भी अधिकार है कि वे वित्तीय वर्ष के दौरान किन्हीं भी तीन दिवसों में उनके जिले/क्षेत्र की देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों को बंद करने के आदेश दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा/विधानसभा/स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, जिसमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है, के चुनाव/उप-चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मदिरा की दुकानों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-24 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर लोकहित में बंद करने के लिए सक्षम हैं।

24 / देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानों के खुलने का समय :-

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (यथासंशोधित) के नियम 10 सहपठित सी.एस.2(घघ) लायसेंस शर्त क्रमांक 10, सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट) लायसेंस शर्त क्रमांक 10, एफ.एल.1(घघ) लायसेंस शर्त क्रमांक 18, एवं एफ.एल.1(घघ-कम्पोजिट) लायसेंस शर्त क्रमांक 10 में देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा।

25 / मदिरा के फुटकर विक्रय दरों का निर्धारण :- छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (यथासंशोधित) के नियम 09 के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 के लिए शासन द्वारा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक) के लिए फुटकर विक्रय दर निर्धारित की जावेगी। देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के शासन द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रय दर देशी मदिरा/विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रकार के नामपत्रों (लेबलों) पर अंकित किया जावेगा। मदिरा दुकानों के फुटकर अनुज्ञापतिधारी, शासन द्वारा निर्धारित किए गए फुटकर विक्रय मूल्य से कम अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।

26 / मदिरा दुकानों से मदिरा विक्रय :-देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानों में मदिरा का आमद एवं विक्रय ट्रेक एण्ड ट्रेस पद्धति से नियमानुसार स्कैनिंग करने के उपरांत ही किया जाना होगा।

27 / मदिरा दुकानों से मदिरा विक्रय की सीमा :-देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानों से एक व्यक्ति को एक बार में देशी अथवा विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक) की केवल 04 मैगनम बोतल अथवा 06 क्वार्ट बोतल अथवा 12 अब्दा अथवा 24 पाव की बोतलों का ही विक्रय किया जा सकेगा।

28 / देशी/विदेशी मदिरा के लिये काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क :-

देशी/विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक) के लिये प्रति पेटी पर आबकारी शुल्क अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क), जैसा भी लागू हो, जो लैडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 50 प्रतिशत की दर से होगी, को विनिर्माता इकाई से मदिरा के निर्गम से पूर्व शासकीय कोष में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

29/ देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के सीलबंद बोतलों में आयात एवं देशी/विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए आर.एस./ई.एन.ए. के आयात पर शुल्क का निर्धारण :-

(29.1) देशी मदिरा हेतु सीलबंद बोतलों के लिए आयात शुल्क :-

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये देशी मदिरा की सीलबंद बोतलों के अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात शुल्क रुपये 6.00 प्रति प्रूफ लीटर निर्धारित किया जाता है।

वर्ष 2026-27 में देशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता को अपनी आसवनी परिसर स्थित देशी मदिरा बोतल भराई कक्ष/देशी मदिरा बोतल भराई परिसर स्थित बोतल भराई कक्ष एवं विदेशी मदिरा परिसर स्थित देशी मदिरा बोतल भराई कक्ष से देशी मदिरा को सीलबंद बोतलों में मास्टर कॉर्टन पैकिंग में संधारण कर मांग अनुसार, नियमानुसार स्वयं के व्यय पर भण्डारण भाण्डागार तक प्रदाय किया जावेगा।

(29.2) देशी मदिरा के विनिर्माण के लिये आर. एस. के आयात पर आयात शुल्क :-

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये देशी मदिरा के विनिर्माण हेतु उपयोग में लाई जाने वाले रेक्टिफाईड स्पिरिट के आयात पर आयात शुल्क रुपये 1/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

(29.3) विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए ई.एन.ए. के आयात पर आयात शुल्क :-

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए विदेशी मदिरा के विनिर्माण हेतु ई.एन.ए. के आयात पर आयात शुल्क रुपये 1/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

30/ विदेशी मदिरा के सीलबंद बोतलों में आयात शुल्क :-

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये विदेशी मदिरा (स्पिरिट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक) के अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात शुल्क रुपये 40/- प्रति प्रूफ लीटर एवं विदेशी मदिरा (माल्ट) के अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात शुल्क रुपये 20/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

31/ विभिन्न अनुज्ञप्तियों (लायसेंस) के लिए निर्धारित लायसेंस फीस एवं देशी/विदेशी मदिरा के ब्राण्ड/लेबल रजिस्ट्रेशन फीस निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.	अनुज्ञप्ति (लायसेंस) का नाम	अनुज्ञप्ति का विषय	फीस का प्रकार	वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति(लायसेंस) फीस (नवीन/नवीनीकरण हेतु)
1	2	3	4	5
1	डी.-1	आसवनी अनुज्ञप्ति (स्पिरिट का उत्पादन हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 20,00,000/-
2	सी.एस.1		स्थगित	
3	सी.एस.1-ख	देशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोतल भराई हेतु अनुज्ञप्ति (डिस्टलरीज /विदेशी मदिरा/देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 16,00,000/-

क्र.	अनुज्ञप्ति (लायसेंस) का नाम	अनुज्ञप्ति का विषय	फीस का प्रकार	वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति(लायसेंस) फीस (नवीन/नवीनीकरण हेतु)
1	2	3	4	5
4	सी.एस.1-खख	देशी मदिरा के विनिर्माण तथा विशेष बोतल भराई हेतु अनुज्ञप्ति (प्रति फ्रैन्चाईसी के अन्तर्गत)	लायसेंस फीस	रुपये 16,00,000 / -
5	सी.एस.-1 ग	देशी मदिरा थोक भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण हेतु अनुज्ञप्ति (सी.एस.बी.सी.एल. हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 1,00,000 / -
6	सी.एस.-2(घघ)	देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000 / -
7	सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट)	देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 20,000 / -
8	एफ.एल.-1(घघ)	विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000 / -
9	एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट)	विदेशी/देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 20,000 / -
10	एफ.एल. 6	सैनिक कैंटीन थोक विक्रय अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000 / -
11	एफ.एल. 7	सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 1,000 / -
12	एफ.एल. 8	सैनिक/अर्धसैनिक (पैरा मिलिट्री) बल द्वारा संचालित विनोद गृह (क्लब) अथवा भोजनालय (मेस) द्वारा विदेशी मदिरा कब्जे में रखने हेतु सैनिक कैंटीन क्लब अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 1,000 / -
13	एफ.एल. 9	विदेशी मदिरा के विनिर्माण बोतल भराई हेतु अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,00,000 / -
14	एफ.एल. 9क	विदेशी मदिरा के विशेष बोतल भराई हेतु अनुज्ञप्ति (प्रति फ्रैन्चाईसी के अन्तर्गत)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000 / -
15	एफ.एल.10	विदेशी मदिरा का थोक - क्रय, भण्डारण एवं विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति (प्रति गोदाम सी.एस.बी.सी.एल. हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 50,00,000 / -

क्र.	अनुज्ञप्ति (लायसेंस) का नाम	अनुज्ञप्ति का विषय	फीस का प्रकार	वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति(लायसेंस) फीस (नवीन/नवीनीकरण हेतु)
1	2	3	4	5
16	ख-1-अ	यवासवनी (ब्रूअरी) हेतु अनुज्ञप्ति (बीयर उत्पादन हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000 / -
17	डब्ल्यू-3	वाईनरी हेतु अनुज्ञप्ति (वाईन उत्पादन हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 1,00,000 / -
18	ब्राण्ड/लेबल का रजिस्ट्रेशन (पंजीयन)	विदेशी मदिरा हेतु ब्राण्ड/लेबल रजिस्ट्रेशन (पंजीयन)	रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) फीस	नवीन/मॉडिफिकेशन ब्राण्ड/लेबल हेतु रुपये 1,00,000 प्रति ब्राण्ड/लेबल एवं नवीनीकरण हेतु रुपये 50,000 प्रति ब्राण्ड/लेबल
		देशी मदिरा हेतु ब्राण्ड/लेबल रजिस्ट्रेशन (पंजीयन)		नवीन/मॉडिफिकेशन ब्राण्ड/लेबल हेतु रुपये 1,00,000 प्रति ब्राण्ड/लेबल एवं नवीनीकरण हेतु रुपये 50,000 प्रति ब्राण्ड/लेबल

32/ देशी/विदेशी मदिरा की बॉटलिंग फीस :-

वर्ष 2026-27 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की बॉटलिंग फीस निम्नानुसार रहेगी :-

क्र	मद	वर्ष 2026-27 के लिये बॉटलिंग फीस की दर
1	देशी मदिरा हेतु बॉटलिंग फीस (सी.एस.1 ख अनुज्ञप्ति के अंतर्गत)	रु. 1.00 प्रति पूफ लीटर
2	देशी मदिरा फ्रेन्चाइजी हेतु बॉटलिंग फीस (सी.एस.1 खख अनुज्ञप्ति के अंतर्गत)	रु. 5.00 प्रति पूफ लीटर
3	बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत (स्प्रिट मदिरा हेतु)	रु. 6.00 प्रति पूफ लीटर
4	बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत (माल्ट मदिरा हेतु)	रु. 1.00 प्रति बल्क लीटर
5	बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत (माल्ट मदिरा निर्यात हेतु)	रु. 0.50 प्रति बल्क लीटर
6	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) हेतु :-	
	(क) बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 (क) अनुज्ञप्ति फ्रेन्चाइजी के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में ही विक्रित होने वाले विदेशी मदिरा स्प्रिट के प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु	रु. 30.00 प्रति पूफ लीटर

	(ख)	बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 (क) अनुज्ञप्ति फ्रैन्चाइसी के अन्तर्गत प्रदेश के बाहर निर्यात होने वाले विदेशी मदिरा स्प्रिट के प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु	रु. 2.00 प्रति प्रूफ लीटर
7	विदेशी मदिरा (माल्ट) हेतु :-		
	(क)	बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 (क) अनुज्ञप्ति फ्रैन्चाइजी के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में ही विक्रित होने वाले विदेशी मदिरा (माल्ट) के प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु	रु. 5.00 प्रति बल्क लीटर
	(ख)	बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 (क) अनुज्ञप्ति फ्रैन्चाइजी के अन्तर्गत प्रदेश के बाहर निर्यात होने वाले विदेशी मदिरा (माल्ट) के प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु	रु. 0.50 प्रति बल्क लीटर

33/ विभिन्न प्रकार के परिवहन/परमिट फीस/आबकारी शुल्क :-

वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन/परमिट फीस/आबकारी शुल्क निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.	विवरण	निर्धारित फीस/शुल्क
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों से विदेशी मदिरा के थोक गोदाम (छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम) तक विदेशी मदिरा के परिवहन हेतु	रुपये 1500/- प्रति अनुज्ञा पत्र
2	प्रदेश में स्थित देशी मदिरा के विनिर्माण भण्डागार से सील बंद बोतलों में भण्डारण-भाण्डागार तक परिवहन हेतु	रुपये 1500/- प्रति अनुज्ञा पत्र
3	प्रदेश में स्थित आसवनियों एवं अन्य इकाईयों हेतु रेक्टिफाईड स्प्रिट के परिवहन हेतु	रुपये 1500/- प्रति अनुज्ञा पत्र
4	प्रदेश में स्थित आसवनियों एवं अन्य इकाईयों हेतु एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल/अल्कोहल युक्त अन्य पदार्थ के परिवहन हेतु	रुपये 1500/- प्रति अनुज्ञा पत्र
5	विदेशी मदिरा एफ.एल.2 (क) स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार, एफ.एल.3 होटल बार, एफ.एल.3क शॉपिंग माल रेस्टोरेन्ट बार, एफ.एल.3ख विशेष रेस्टोरेन्ट बार, एफ.एल.3ग पर्यटन बार, एफ.एल.3(घ) विमानपत्तन रेस्टोरेन्ट बार, एफ.एल.3(ड.) स्टार होटल बार, एफ.एल.4 असैनिक विनोद-गृह, एफ.एल.4 (क) व्यवसायिक क्लब एवं एफ.एल.5/एफ.एल.5क प्रासंगिक अनुज्ञप्तियों आदि के अंतर्गत परिवहन हेतु	रुपये 500/- प्रति अनुज्ञा पत्र
6	प्रदेश में मदिरा, मादक द्रव्य एवं आबकारी कर योग्य वस्तुओं से लदे हुए वाहनों का प्रदेश में आबकारी जांच चौकी/थाना स्थलों से प्रवेश एवं निर्गम के दौरान वैध पाये जाने पर प्रमाणीकरण हेतु आबकारी शुल्क	रुपये 1000/- प्रति परेषण
7	प्रदेश में आबकारी जांच चौकी/थाना स्थलों से प्रवेश एवं निर्गम के समय पारपत्र की कालतीत हुए परेषणों अथवा कालातीत हो रहे होने वाले परेषणों पर जांच पश्चात वैध पाये जाने पर परिवहन हेतु समयावधि बढ़ाये जाने अथवा किसी भी अन्य वैध संशोधन की स्थिति में आबकारी शुल्क	रुपये 1000/- प्रति परेषण

34/ वर्ष 2026-27 के लिए देशी/विदेशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों (कम्पनी/संस्था) के पंजीयन एवं रेट ऑफर हेतु फीस निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.	विवरण	निर्धारित फीस
1	2	3
1	देशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों के पंजीयन हेतु	रूपये 1,00,000/- (कर रहित)
2	विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक) के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों के पंजीयन हेतु	रूपये 1,00,000/- (कर रहित)
3	देशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों के पंजीयन विवरण में संशोधन हेतु	रूपये 50,000/- (कर रहित)
4	विदेशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों के पंजीयन विवरण में संशोधन हेतु	रूपये 50,000/- (कर रहित)
5	देशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों के लिये रेट ऑफर के प्रत्येक आवेदन हेतु	रूपये 50,000/- (कर रहित)
6	विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक) के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों के लिये रेट ऑफर के प्रत्येक आवेदन हेतु	रूपये 50,000/- (कर रहित)

35/ सूक्ष्म यवासवनी (Micro Brewery):-

वर्ष 2026-27 के लिये सूक्ष्म यवासवनी (Micro Brewery) अनुज्ञप्ति के संबंध में पृथक से निर्देश प्रसारित किये जावेंगे।

36/ बार/रेस्टोरेंट/क्लब के अनुज्ञप्ति :-

वर्ष 2026-27 के लिए बार/रेस्टोरेंट/क्लब के अनुज्ञप्ति के संबंध में पृथक से निर्देश प्रसारित किये जावेंगे।

37/ मादक पदार्थों पर अन्य कोई कर :-

वर्ष 2026-27 की लायसेंस अवधि में यदि केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई नवीन कर लगाया जाता है अथवा प्रचलित कर के दरों में वृद्धि की जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत लायसेंस फीस आदि में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। यदि किसी प्रचलित कर में कमी की जाती है तो उक्त कमी की राशि शासकीय राजस्व का भाग होगा तथा इस हेतु अनुज्ञप्तिधारी हकदार नहीं होगा, और इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपरोक्त प्रावधान देशी/विदेशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ताओं पर समान रूप से लागू होंगे।

38/ अन्य व्यवस्थाएँ लागू रहना :-

वर्ष 2025-26 में प्रचलित वे समस्त प्रावधान जिनका समावेश वर्ष 2026-27 की आबकारी व्यवस्था में पृथक से नहीं किया गया है, यथावत प्रभावी बने रहेंगे। राजस्व हित एवं प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा शासन अनुमोदन के अधीन, प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन किये जा सकेंगे।

39/ मद्य निषेध नीति तथा प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप मदिरा दुकान बंद करना :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप या किसी अन्य कारण से किसी दुकान को बंद करने का निर्णय लिया जाता है, तो वैसा करने का अधिकार राज्य शासन से अनुमति पश्चात् आबकारी आयुक्त का होगा। इस कारण से अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा देय नहीं होगी।


इसी प्रकार यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान के व्यवस्थापन की अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था आदि संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा देय नहीं होगी।

40/ सत्यनिष्ठा संधि (Integrity pact) का पालन किया जाना :-

सत्यनिष्ठा संधि (Integrity pact) की प्रक्रिया में क्रेता एवं विक्रेता द्वारा सत्यनिष्ठा की नीति का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सत्यनिष्ठा संधि का प्रारूप परिशिष्ट-03 (Annexure) में संलग्न है।

41/ वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों की सभी अनुज्ञप्तियाँ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (यथा-संशोधित) निर्धारित शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अध्याधीन रहेंगी।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(आर. शंगीता) 10/2/26
आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/आब./ठेका/2026/ 876
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 10.02.2026

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, छ.ग., रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, छ.ग., रायपुर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, छ.ग., रायपुर
7. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, छ.ग., रायपुर,
8. समस्त अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मुख्यालय, रायपुर,
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
10. संयुक्त संचालक (वित्त) मुख्यालय, रायपुर,
11. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर

12. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़,
 13. उपायुक्त आबकारी जिला-रायपुर/सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-दुर्ग/
राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/जांजगीर चांपा/रायगढ़
 14. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़
 15. समस्त जिला आबकारी अधिकारी(आसवनी), छत्तीसगढ़
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**


आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

देशी / विदेशी / कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु
आवेदन पत्र (वित्तीय वर्ष-.....)

1. आवेदक का पदनाम :-
2. आवेदक के कार्यालय का विवरण
 - (i) नाम :-
 - (ii) पता :-
 - (iii) पिन कोड :-
 - (iv) टेलीफोन नं. :-
 - (v) मोबाईल नं. :-
 - (vi) ई.मेल आई.डी. :-
3. आवेदित मदिरा दुकान का प्रकार
(देशी / विदेशी / प्रीमियम / कम्पोजिट) :-
4. आवेदित मदिरा दुकान का नाम :-
5. आवेदित मदिरा दुकान का विवरण
 - (i) ग्राम / शहर का नाम :-
 - (ii) वार्ड का नाम एवं क्रमांक :-
 - (iii) उपयोजना / गैर उपयोजना क्षेत्र :-
 - (iv) आबकारी वृत्त का नाम :-
 - (v) आबकारी मण्डल का नाम :-
 - (vi) पुलिस थाना का नाम :-
 - (vii) तहसील का नाम :-
 - (viii) विकासखण्ड का नाम :-
 - (ix) जिले का नाम :-
 - (x) विधानसभा का नाम :-
 - (xi) विधानसभा का क्रमांक :-
 - (xii) लोकसभा का नाम :-
 - (xiii) लोकसभा का क्रमांक :-
 - (xiv) दुकान का अक्षांश (Latitude) :-
 - (xv) दुकान का देशान्तर (Longitude) :-
6. आवेदक कंपनी का विवरण
 - (i) नाम :-
 - (ii) मुख्यालय का पता :-
 - (iii) पिन कोड :-
 - (iv) टेलीफोन नं. :-
 - (v) मोबाईल नं. :-
 - (vi) ई.मेल आई.डी. :-
 - (vii) PAN :-
 - (viii) TIN :-
 - (ix) GST Number :-



7. लायसेंस फीस का विवरण

- (i) राशि :-
- (ii) चालान क्रमांक :-
- (iii) चालान दिनांक :-

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर



**मदिरा दुकानों के आवश्यकतानुसार नाम/स्थल/स्वरूप परिवर्तन हेतु
प्रक्रिया एवं आवेदन प्रारूप
(वित्तीय वर्ष-.....)**

1. आवेदक का पदनाम :-
2. आवेदक के कार्यालय का विवरण
 - (i) नाम :-
 - (ii) पता :-
 - (iii) पिन कोड :-
 - (iv) टेलीफोन नं. :-
 - (v) मोबाईल नं. :-
 - (vi) ई.मेल आई.डी. :-
3. वर्तमान में संचालित मदिरा दुकान का नाम/स्थल/स्वरूप
 - (i) वर्तमान नाम :-
 - (ii) वर्तमान स्थल :-
 - (iii) वर्तमान स्वरूप :-
4. (i) प्रस्तावित नाम :-
- (ii) प्रस्तावित स्थल :-
- (iii) प्रस्तावित स्वरूप :-
5. प्रस्तावित नाम/स्थल/स्वरूप का विवरण
 - (i) ग्राम/शहर का नाम :-
 - (ii) वार्ड का नाम एवं क्रमांक :-
 - (iii) उपयोजना/गैर उपयोजना क्षेत्र :-
 - (iv) आबकारी वृत्त का नाम :-
 - (v) आबकारी मण्डल का नाम :-
 - (vi) पुलिस थाना का नाम :-
 - (vii) तहसील का नाम :-
 - (viii) विकासखण्ड का नाम :-
 - (ix) जिले का नाम :-
 - (x) विधानसभा का नाम :-
 - (xi) विधानसभा का क्रमांक :-
 - (xii) लोकसभा का नाम :-
 - (xiii) लोकसभा का क्रमांक :-
 - (xiv) दुकान का अक्षांश (Latitude) :-
 - (xv) दुकान का देशान्तर (Longitude) :-
6. लायसेंस फीस का विवरण
 - (i) राशि :-
 - (ii) चालान क्रमांक :-
 - (iii) चालान दिनांक :-

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर



PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20..... between, the Government of Chhattisgarh acting through Shri. (Designation of the officer, Department) Government of Chhattisgarh (hereinafter called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (name of the Stores/Equipment/Work/Service) and M/s represented by Shri Chief Executive Officer (hereinafter called the "BIDDER/Seller", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors an permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

- 2.1. Enabling the BUYER to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and
22. Enabling BIDDERS to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in ay form, by its official by following transparent procedures.



3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following:-

- 3.1. The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.
- 3.2. The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERS alike, and will provide to all BIDDERS the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERS.
- 3.3. All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same prima fade found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed, fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDERS

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means an illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract orpost-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

- 4.1. The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.



- 4.2. The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or dis-favour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.
- 4.3. The BIDDER further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER in the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.
- 4.4. The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.
- 4.5. The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.
- 4.6. The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.
- 4.7. The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.
- 4.8. The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.
- 4.9. The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.



5. PREVIOUS TRANSGRESSION

- 5.1. The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify BIDDER's exclusion from the tender process.
- 5.2. If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

- 6.1. Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through any of the following instruments:
- (i) Bank Draft or a Pay Order in favour of.....
 - (ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the (BUYER) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER shall be treated as conclusive proof of payment.
 - (iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).
- 6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.
- 6.3. In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.
- 6.4. No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

- 7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required:-



(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate while in case of a BIDDER from a country other than India with interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest.

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to recover the payments, already made by the BUYER, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting on behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.



The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

7.2. The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT MONITORS

9.1. The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.



9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by the BUYER.

H

9.6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department/within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.



14. The parties hereby sign this Integrity Pact at.....on.....

BUYER

BIDDER

Name of the Officer

CHIEF EXECUTTIVE OFFICER

Designation

Department/ PSU

Witness

Witness

1).....

1)

2).....

2)